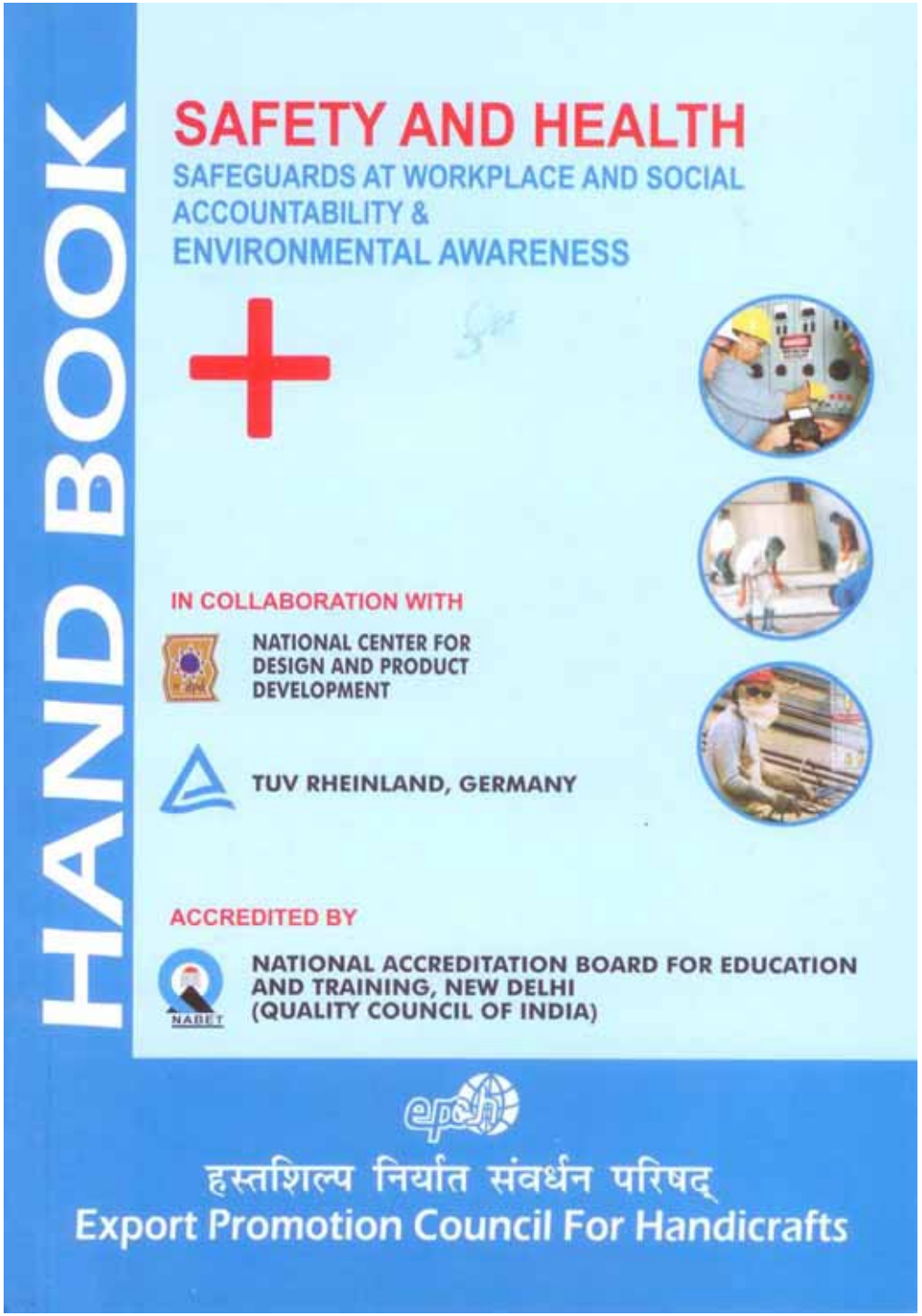

RELEASE OF HANDBOOK

ON

SAFETY & HEALTH SAFEGAURDS AT WORKPLACE
&
SOCIAL ACCOUNTABILITY AND ENVIRONMENTAL AWARENESS

ON

3RD AUGUST, 2009
AT

SAHARANPUR, U.P.

BY

MRS. RITA MENON, IAS, SECRETARY, TEXTILES,
GOVT. OF INDIA

IN PRESENCE
OF

SHRI SANJAY AGARWAL, IAS,
DEVELOPMENT COMMISSIONER (HANDICRAFTS)
MINISTRY OF TEXTILES, GOVT. OF INDIA

SHRI RAJ KUMAR MALHOTRA, CHAIRMAN,
EXPORT PROMOTION COUNCIL FOR HANDICRAFTS

SHRI RAKESH KUMAR, EXECUTIVE DIRECTOR,
EXPORT PROMOTION COUNCIL FOR HANDICRAFTS

कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं

सुरक्षा

निर्देशिका

Work Place Health and Safety Handbook

विषय सूची / Contents

PART I 7
कार्यस्थलों के कानून एवं नियम 7
DO'S & DON'T'S SOCIAL ACCOUNTABILITY AT HANDICRAFTS MANUFACTURING WORK PLACE / FACTORY 7
बाल श्रम नहीं 7
NO CHILD LABOUR 8
संघटना के बारे में एवं सामुहिक समझौता के बारे में स्वातंत्रता 8
FREEDOM OF ASSOCIATION AND THE RIGHT TO COLLECTIVE BARGAINING 9
आरोग्य एवं सुरक्षा 10
HEALTH AND SAFETY 11
स्वास्थ्य एवं प्रथमोपचार 12
HEALTH AND FIRST AID 13
उपहार गृह/ पालना घर 14
CANTEEN / CRECHE 14
आग से सावधानियां 15
FIRE PRECAUTIONS 15
SAFE USE OF MACHINERY AND CHEMICALS 17
स्वास्थ्य एवं कारखानों का पर्यावरण 18
HYGIENE AND FACTORY ENVIRONMENT 18
कार्य समय 19
HOURS OF WORK 21
वेतन व लाभ 22
WAGES AND BENEFITS 23
SOCIAL SECURITY BENEFITS 25
सेवा करार 26
CONTRACT OF EMPLOYMENT 28
अनुशासनीय 29
DISCIPLINARY 30
पर्यावरणात्मक व्यवस्थापन 31
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 32
उपलबधता श्रुखला ब्यस्थापन 32
MANAGEMENT COMMITMENT 33
प्रबंधन प्रतिबद्धता 34
MANAGEMENT COMMITMENT 34
PART-II 35
1. स्वास्थ्य और सुरक्षा 35
HEALTH AND SAFETY 35
सुरक्षा नीति 36
SAFETY POLICY 36
लोगों और उनके कार्यस्थल के लिये सुरक्षा 37
PROTECTION FOR PEOPLE AND THEIR WORKING 37
Environment 37
2. कार्य परिस्थितियां 38
इसे निश्चित करें- 38
WORKING CONDITIONS 39

3. फैक्टरियों में कार्य करने के दौरान पूर्वसावधानियां व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग 39
Precautions when working in factories....40
आग सुरक्षा 40
FIRE SAFETY....41
अग्निरोधी उपकरण....41
प्राथमिक चिकित्सा का पहुंच में होना सुनिश्चित करें....43
MAKE SURE FIRST AID IS AT HAND....43
यदि आप दुर्घटनास्थल पर पहुंच सकें,तो यह जिम्मेदारी संभालें....44
If you reach the accident site, take charge....44
डरना ठीक है, लेकिन शांत और दृढ़ रहना जरूरी है....44
Being afraid is ok, but stay calm and decisive....44
अचेत व्यक्ति की जांच करें और होश में लाने का प्रयास करें....45
हृदय/फेफड़ों को चालू करना 46
घातक रक्तस्राव रोकें। 47
EXAMINE THE UNCONSCIOUS PERSON AND TRY TO GET CONTACT....48
कार्य और पहुंच अनुमतियां 50
WORK AND ACCESS PERMISSION....50
हानिकर उत्पाद 51
BE PREPARED....51
सदैव व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनें 52
ALWAYS WEAR PERSONAL SAFETY EQUIPMENT....52
वेल्डिंग में सुरक्षा 52
Protection in welding....53
अस्थायी इंस्टालेशन और उपकरण....53
Temporary Installations And Tools....53
दुर्घटना रोकथाम 54
गतिहीन और बार-बार की जाने वाली मांसपेशियों की गतिविधियां 54
Accident Prevention....54
बीमारी रोकथाम की जानकारी....55
Catch Words for Ailment Prevention....55
भार उठाना और ले जाना....55
Lifting and Carrying....56
भार उठाने के उपकरण....56
Lifting Equipment 57
संकरे क्षेत्रों में कार्य करना....58
Special Activities and Tools....58
इन प्रश्नों पर विचार करें: 59
Address these questions....59
रेगुलेशन के लिये महत्त्वपूर्ण विषय....60
Important Topics from the Regulations....61
विद्युत इंस्टालेशन 61
Electrical Installation....61
जीवन बचाने वाले उपाय....62
Steps That Save Lives 62
विद्युत सुरक्षा-अस्थायी इंस्टालेशन 62
Electrical Safety – Temporary Installations....63
4. काष्ठ कला उद्योग में सुरक्षा....63
Safety in the wood working industry....64

When using hand tools....64
रूखानी से कार्य करते समय 65
When working with Chisels....65
When working with Clamps 66
हथौड़े से कार्य करते समय....66
When working with Hammers....67
रेती या रेते के साथ कार्य करते समय:....67
When working with Files/Rasps....67
संडसी के साथ कार्य करते समय:....68
When working with Pliers....68
आरी के साथ कार्य करते समय:....69
When working with Saws....69
कतरनी का प्रयोग करते समय: 70
When working with Snips....70
शिकंजे का प्रयोग करते समय: 71
When working with Vises....71
When working with Screw drivers....72
बिजली उपकरणों का प्रयोग करते समय....73
WHEN HANDLING ELECTRIC TOOLS 74

PART I

कार्यस्थलों के कानून एवं नियम

SOCIAL ACCOUNTABILITY AT HANDICRAFTS MANUFACTURING WORK PLACE / FACTORY

DO'S & DON'T'S

बाल श्रम नहीं

कर्मचारियों की उम्र सेवा के लिए कानून के अनुसार कम से कम उम्र १४ है.

१४ से १५ वर्ष के बीच उम्र के बच्चों को प्रति दिन जयादा से ज्यादा ४,५ घंटों की सेवा के लिए नियुक्त किया जा सकता है. बच्चो को रात के समय कार्य करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है. रात ७ से सुबह ८ बजे तक प्रशासन के लिए जरूरी है की वह बच्चे कर्मचारियों की अलग बही रखे.

१८ वर्ष से कम उम्र के जवान कर्मचारी के पास क्षमता प्रमाणपत्र होना जरुरी है.

१८ वर्ष से कम उम्र के जवान कर्मचारियों को जोखिमी काम नहीं दिया जा सकता या उन्हें अतिकालिक नहीं दिया जायेगा. प्रशिक्षार्थी कर्मचारी १४ वर्ष से ज्यादा उम्र के होने चाहिए. उनके साथ एक करारपत्र करना चाहिए जिसमे प्रत्यधिक कार्य, सिद्धांतो का प्रशिक्षण और परीक्षा का समावेश रहेगा.

NO CHILD LABOUR

Age of Workers

- Minimum legal age of employment is 14 years.
- Children between the age of 14 and 15 years can be employed for a maximum period of 4.5 hours in a day.
- The child cannot be employed during night time (i.e. 7pm to 8am).
- The employer must maintain a register of child workers.
- A young worker under 18 years must have a certificate of fitness.

Young workers must be over 14 years old. They must have a contract, which involved practical and theoretical training and a test. Apprentices are not allowed to be paid by the piece.

संघटना के बारे में एवं सामुहिक समझौता के बारे में स्वातंत्रता

कर्मचारियों को कर्मचारी संघटना में शामिल होने का अधिकार है.

सात या सात से ज्यादा लोग संघटना स्थापन कर सकते है और संघटना के पंजीकरण के लिए आवेदन दे सकते हैं. कर्मचारी पूर्व अनुमति बिना अपनी पसंद की संघटना में शामिल हो सकते हैं.

सभी कर्मचारी संघटनाओं को जरुरी है कि वे कर्मचारी संघटन के निबंधक, रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकरण कर लें. संघटन के सदस्य होने के नाते कर्मचारी संघटन कस शुल्क भरें. फीस सालाना बारह रुपयों से ज्यादा नहीं होना चाहिए. संघटित क्षेत्र में संघटनाअन्तर्गत संयंत्रों में

वेतन निश्चित करने के लिए एवं विवाद में बारे में निर्णय लेने के लिए सामुहिक समझौता यह एक सर्वसाधारण और सर्वसम्मत मार्ग है.

दि इन्डसट्रियल डिस्प्यूट एक्ट १९४७, औधोगिक विवाद कायदोंद्ध के अनुसार जिन औधोगिक आस्थापनाओं में १०० से ज्यादा कर्मचारी हैं वहाँ पर कर्मचारी एवं प्रशासन के बीच उचित संपर्क रखने के लिए कर्मचारी समिति का गठन आवश्यक है.
कर्मचारी संघटना के निर्माण पर प्रतिबन्ध लाना या किसी भी कर्मचारी को संघटना स्थापन करने के लिए उसे सेवामुक्त या निलंबित करना एनी कोई सजा देना, यह इन्डसट्रियल डिस्प्यूट एक्ट १९४७, के तहत अनुचित कार्य पद्यति मानी जाती है.

FREEDOM OF ASSOCIATION AND THE RIGHT TO COLLECTIVE BARGAINING

- Employees have the right ot join a trade union.
- Seven or more persons can form a union and apply to have the union registered. Workers may join unions of their own choosing without prior authorization.
- All the trade unions must be registered with the Registrar of Trade unions appointed by the government
- The employees should pay the subscription fees as a member of the union. The fees should not exceed twelve rupees per annum.
- Collective bargaining is the normal means of setting wages and settling disputes in unionized plants in the organized industrial sector.

- Industrial Disputes Act requires industrial establishments with more than 100 workers to set up a works committee to maintain good links between employers and employees.

The industrial Disputes Act, 1947 makes it an unfair labour practice for employers to prevent union organization, to discharge or dismiss or otherwise punish an employee because he forms or joins a union.

आरोग्य एवं सुरक्षा

व्यवस्थापन एवं प्रशिक्षण
आग लगने के आपातकाल में कर्मचारियों ने क्या करना चाहिए इसके बारे में उन्हें प्रशिक्षण मिलना अनिवार्य है तथा कुछ कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार के बारे में भी प्रशिक्षण देना आवश्यक है.
५०० या अधिक कर्मचारी जिस कारखाने में हैं वहाँ वेलफेयर अधिकारी की नियुक्ति आवश्यक है.
१००० या अधिक कर्मचारी जिस कारखाने में हैं वहाँ एक या अधिक सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति करना आवश्यक है. प्रशासन को जरुरी है कि वे एक सुरक्षा समिति का गठन करें जिसमे कर्मचारी तथा व्यवस्थापन के समान संख्या में प्रतिनिधि हों.
प्रशासन को जरुरी है कि वे कर्मचारियों को काम के वक़्त आरोग्य एवं सुरक्षा के बारे में जानकारी उपलब्ध करें. प्रशासन द्वारा प्रशिक्षण केंद्र में या संस्था में आरोग्य एवं सुरक्षा के प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने का अधिकार कर्मचारी को रहेगा.
प्रशासन को जरुरी है कि वे कारखाने में जोखिम कार्य पर पर्यवेक्षण के लिए वे सक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति करें.

प्रशासन को जरुरी है कि वे कारखाने कि आपातकालीन योजना तथा दुर्घटना नियंत्रण योजना बनाये.

गर्भवती महिलायें हलके काम के लिए अनुरोध कर सकती हैं.

HEALTH AND SAFETY

Management and Training

[

- Workers must receive training in what they should do if there is a fire emergency and some workers must be trained in first aid.
- A factory employing 500 or more workers should employ a Welfare Officer.
- A factory employing 1,000 or more workers is required to appoint one or more Safety Officers.
- The employer must set up a Safety Committee consisting of equal number of representatives of workers and management.
- The employer must provide workers with information relating to heath and safety at work. The worker has the right to be sponsored by the employer for heath and safety training at a training centre or institute.
- The employer must appoint competent persons to supervise the hazardous activities within the factory.
- The employer must produce a site emergency plan and also disaster control measures for the factory.
- Pregnant women may request light duties.

स्वास्थ्य एवं प्रथमोपचार

कारखाने पे पर्याप्त संख्या में प्रथमोपचार पेटी की उपलब्धता होनी चाहिए. १५० कर्मचारियों के लिए कम से कम एक प्रथमोपचार पेटी अगर २० से ज्यादा कर्मचारी हों तो एक कर्मचारी ऐसा हो, जो सेंट जांस एंबुलेंस या रेड क्रास सोइएटी ऑफ़ इंडिया से प्रथमोपचार में प्रशिक्षित हो.

एक दुर्घटना बही रखनी चाहिए. अगर कारखाने की जगह में कोई दुर्घटना हो जिसकी वजह से कर्मचारी की मृत्यु हो, तो प्रशासन को जरुरी है कि वे कर्मचारी के लिए नुकसानी अदा करने के लिए मृत्यु संबंधी स्थिति कि जानकारी देते हुए मृत्यु की तारीख से ७ दिनों के अन्दर आयुक्त को सूचना भेजेंगे.

प्रशासन को जरुरी है कि वे सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य के बारे में सही और अद्यावत अभिलेख रखें.

सेवा काल के दरमियान उदभव होने वाली शारीरिक क्षति या बीमारी के लिए प्रशासन कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति अदा करेगा. अगर शारीरिक क्षति के परिणाम स्वरुप मृत्यु हो जाती है तो मृत व्यक्ति पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति कर्मचारी को दिए जाने वाले वेतन के ५० प्रतिशत को २२८.५४ से ९९.३७ इस संख्या से गुणा कर आनेवाली रकम या रु. ८०,०००/- इनमे से जो अधिक होगा वह दी जायेगी. अगर इसके लिए एम्प्लोइज़ स्टेट इन्शुरेन्स ई. एस. आय. बद्ध योजना लागू हो, तो इस मामले में ई. एस. आय. के तहत निर्णय लिया जायेगा.

HEALTH AND FIRST AID

- The factory must provides sufficient first aid boxes for employees (at least one first aid box fo every 150 workers)

- If there are more than 20 employees there must be a staff member who is trained in first aid, either by St.John's Ambulance or the Red Cross of India.

- An accident register should be maintained. If any accident occurs in the factory premises, which results in the death of the workers, the employer must (within 7 days of the death) sent an report to the Commissioner for employee's Compensation giving the circumstances attending the death.

- The employer must maintain accurate and up-to-date heath records for all the workers.

- The employer shall pay compensation to employees for injuries and illness resulting from employment.

- If the injury result in death, the amount of compensation payable to his dependents would be equal to 50% of the monthly wages of the employee multiplied by a figure ranging from 228.54 to 99.37 (depending upon the age of the employee) or an amount of Rs.80,000/- whichever is more. If the Employees Sate Insurance (ESI) scheme applied, these issues are addressed by ESI.

उपहार गृह/ पालना घर

अगर २५० से ज्यादा कर्मचारी हों तो प्रशासन द्वारा उपहार गृह उपलब्ध किया जायेगा.

खाद्य पदार्थ बिना लाभ तत्व पर उपलब्ध किये जायेंगे, प्रत्यक्ष में कई जगहों पर प्रशासन इसमें परिदान उपलब्ध कराता है. जिन कारखानों में १५० से ज्यादा कर्मचारी सेवा में हैं, वहां पर पर्याप्त और उचित विश्रांति गृह एवं भोजन गृह उपलब्ध कराए जायेंगे जिसमे पीने के पानी का प्रबंध होगा और प्रशासन द्वारा उनकी उचित देखभाल रखी जायेगी. जिन कारखानों में ३० से जादा महिला कर्मचारी सेवा में हैं, वहां पर प्रशासन द्वारा छः साल से कम उम्र के बच्चों के लिए उचित कक्ष उपलब्ध किये जायेंगे, कक्ष सुस्थिति में रखे जायेंगे.

CANTEEN / CRECHE

- If there are more than 250 workers, canteen(s) shall be provided and maintained by the employer. Food served should be provided at a non-profit basis (in practice it is often subsidized by the employer).

- In factory with more than 150 workers employed, adequate and suitable rest rooms and a lunch room, with provision of drinking water shall be provided and maintained by the employer.

- In a factory more than 30 women workers employed, the employer shall provide and maintain suitable room(s) for the use of children under the age of six years.

आग से सावधानियां

आग का उदभव न हो और वह न फैले इसके लिए प्रशासन आवश्यक सावधानियां लेगा.

आग लगने पर सभी कर्मचारियों को छूट निकलने के लिए प्रशासन आवश्यक सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करेगा और उन्हें सुस्थिति में रखेगा.

आग बुझाने के लिए आवश्यक उपकरण तथा सुविधाएँ प्रशासन द्वारा उपलब्ध की जाएँगी और उन्हें सुस्थिति में रखा जायगा. प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि आग लगने की स्थिति में कर्मचारी निर्गमन के मार्गों से अवगत है और उन्हें पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया गया है.

FIRE PRECAUTIONS

- The employer shall taken necessary measures to prevent outbreak and spread of fire.
- The employer shall provide and maintain safe means of escape for all workers in the event of fire.
- The employer shall provide and maintain the necessary equipment and facilities for extinguishing fire.

The employer shall ensure that the workers are familiar with the means of escape in case of fire and have been adequately trained.

यंत्र एवं रसायनों का सुरक्षित उपयोग

जहाँ जहाँ आवश्यक है, प्रशासन व्यक्तिगत संरक्षण उपकरण उपलब्ध कराएगा.

प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि यंत्रसामग्री सुरक्षित है और उचित रूप से संरक्षित है.

यंत्र शुरू रहते समय उसकी मरम्मत करने वाले कर्मचारियों को प्रशासन से संरक्षित रखना चाहिए.

कम उम्र के व्यक्तियों को, अगर उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया गया हो या वे पर्याप्त पर्यवेक्षण में नहीं हो, तो प्रशासन उन्हें खतरे के यंत्रों पर काम करने की अनुमति नहीं देगा.

आपातकाल में चालू यंत्रों को जानेवाला विद्युतप्रवाह काटने के लिए उचित तरह की उपाय योजना प्रशासन द्वारा दी जायेगी और उसे सुस्थिति में रखा जायेगा.

सभी विद्युत यंत्र ढक कर रखे जायेंगे या संरक्षित रखे जायेंगे.

प्रशासन कर्मचारियों की आँखों को क्षति होने से और खतरीली धूल, गैस, ज्वाला तथा बर्फ से संरक्षित रखेगा.

प्रशासन इमारत एवं यंत्रसामग्री को इस प्रकार से रखेगा कि उनसे मानवी जीवन को या सुरक्षितता को धोखा नहीं निर्माण होगा.

उत्पादन प्रक्रिया में रासायनिक एवं विषैले पदार्थों का प्रादुर्भाव वे खतरीले हो या न हो नियम में विहीत अधिकतक सीमा से ज्यादा नहीं होना चाहिए.

कारखानों में जहाँ पर खतरीले साबित होने वाले रसायनों का प्रयोग होता है, उनके najdeek पर्याप्त और उचित धोने की जगह का प्रबंध किया जाना चाहिए.

SAFE USE OF MACHINERY AND CHEMICALS

- The employer must provide personal protective equipment where necessary
- The employer must ensure that machinery is safe and properly guarded.
- The employer must protect workers who are repairing the machinery while in motion.
- The employer shall not allow young persons to work on dangerous machines unless the workers has received sufficient training or is under adequate supervision.
- The employer shall provide and maintain suitable devices for cutting off power in emergencies from running machinery
- All electrical machinery shall be encased or guarded
- The employer shall protect workers from injury to their eyes and also from dangerous dust, gas, fumes and vapours
- The employer shall maintain the building and machinery in such a condition that it does not case any danger to human life or safety.
- Exposure of chemical and toxic substances in manufacturing processes (whether hazardous or otherwise) should not exceed the maximum permissible threshold limits specified by the law.

Adequate and suitable facilities for washing should be maintained in each factory, near to areas where potentially hazardous chemicals are used.

स्वास्थ्य एवं कारखानों का पर्यावरण

कारखाना साफ़ सुथरा एवं सुव्यवस्थित रखा जायेगा.

हर कर्मचारी के लिए कम से कम १४.२ घन मीटर्स की जगह होनी चाहिए.

पर्याप्त विद्युत व्यवस्था, वायुविजन तथा तापमान नियंत्रण उपलब्ध किया जाना चाहिए.

काम की जगह पर धूल का वसन द्वारा प्रवेश या धूल जमा होने पर प्रतिबन्ध लेन के लिए परिणामकारक उपाय योजना की जायेगी.

सभी कूड़ा कचरा और त्याज्य वस्तुओं पर उचित प्रक्रिया कर उनका सुरक्षित पद्यति से निपटारा किया जायेगा.

कर्मचारियों को स्वछय पीने का पानी सहज उपलब्ध होना चाहिए. जहाँ पर २५० से ज्यादा कर्मचारी हों, वहां पर गर्मी के मौसम में कारखाने में ठंडे पानी की सुविधा उपलब्ध की जानी चाहिए.

काम की जगह पर पर्याप्त प्रसाधन सुविधा उपलब्ध कर उन्हें साफ सुथरे तथा आरोग्यदायक स्थिति में रखना चाहिए. २० कर्मचारियों के लिए कम से कम एक प्रसाधनगृह होना जरूरी है.

पुरुष और महिलाओं के लिए अलग कक्ष उपलब्ध करना चाहिए.

HYGIENE AND FACTORY ENVIRONMENT

- The factory should be kept clean and tidy
- Every workers should have at least 14.2 cubic metres of space
- Adequate lighting, ventilation and temperature control must be provided

- Effective measures shall be taken to prevent dust inhalation and accumulation at the workplace.
- All wasters and effluents should be treated and disposed of in a safe manner.
- Workers must have access to clean drinking water. If there are more than 250 workers, the factory must provide cooled drinking water in hot weather.
- Adequate toilet facilities should be provided at the workplace and should be maintained in a clean and sanitary state. There should be at least one toilet for twenty employees.
- Separate enclosed accommodation must be provided for male and female workers.

कार्य समय

प्रति दिन मानदंड = ८ घंटे

प्रति हफ्ता मानदंड = ४८ घंटे

कुछ कारखाने हफ्ते में ५ दिन रखते हैं जो ४० घंटों से ४५ घंटों तक, या ५.५ दिन प्रति हफ्ता होता है.

साधारण रूप से प्रति सप्ताह अधिकतम अतिकालिक कार्य १२ घंटों तक अनुज्ञेय है या हर तिमाही में ५० घंटा, अधिकतम परमिट कारखाना निरिक्षयालय से प्राप्त किया जा सकता है, परन्तु कुल कार्य के घंटों की अतिरिक्त सीमा हर राज्य में अलग- अलग रहती है जो ५४ घंटों से ७२ घंटे प्रति सप्ताह रहती है. कुछ राज्यों में अधिकतम सीमा मुख्य कारखाने निरीक्षक की अनुमति से ७२ घंटों से ज्यादा समय तक बढाई जा सकती है. सम्बंधित राज्यों के कानून देखिये.

५ घंटों के काम के बाद प्रतिदिन आधा घंटा विश्रांति समय.

काम का कुल समय, मध्यांतर के साथ दिन में दस घंटों से ज्यादा नही होना चाहिए.

महिला कर्मचारी: साधारण रूप से उन्हें शाम के ७ बजे से सुबह के ६ बजे तक सेवानियुक्त नहीं करना चाहिए. परन्तु राज्यों में विशेष प्रकार के उद्योगों में महिला कर्मचारियों को सुबह ५ बजे से रात के १० बजे तक सेवा रहने की अनुमति दी जा सकती है.

बालको को स्तनपान देने वाली माँओं को, बालक १५ माह का होने तक प्रतिदिन १५ मिनट्स के दो मध्यांतर वेतनसहित देना चाहिए.

वेतन सहित छुट्टी:

२४० काम के दिनों के बाद प्रति २० काम के दिनों के लिए एक दिन छुट्टी बाल कर्मचारियों के लिए १ दिन प्रति १५ दिन. छुट्टी के कालावधि का वेतन छुट्टी शुरू होने से पहले देना चाहिए.

प्रसूति के लिए छुट्टी: १२ हफ्ते, अधिकतम ६ सप्ताह अगर प्रसूति के बाद अस्वस्थ हों तो अतिरिक्त एक महिना. सेवा सहित छुट्टी: गर्भपात के लिए ४२ दिन छुट्टी. पिछले १२ महीनों में अगर महिला कर्मचारी ने ८० दिन काम किया हो तो वह प्रसूति विषयक लाभ प्राप्त कर सकती है.

सभी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय सार्वजानिक छुट्टियाँ दी जानी चाहिए. ३ राष्ट्रीय छुट्टियाँ- २६ जनवरी, २ अक्टूबर तथा १५ अगस्त . स्थानीय पारम्परिकता के अनुसार त्यौहारों की छुट्टियाँ बदल सकती हैं.

काम की कालावधि एवं घंटे तथा कारखाने में जो छुट्टी के दिन रखे जायेंगे और वेतन के दिन, इसकी सूचना नोटिस बोर्ड पर अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा में प्रर्दशित की जायेगी.

HOURS OF WORK

- Standard hours per day = 8 hrs.
- Standard hours per week= 48 hrs.
- Some factories adopt a 5-day week ranging from 40 hours to 45 hours, or a 5.5. day week.

- In general, maximum overtime allowed is 12 hours per week or 50 hours per quarter (Peach time permits can be obtained from the factory inspectorate). However, upper limits for total working hours vary in different States, form 54 hours to 72 hours per week. In some States, the maximum can be extended to over 72 hours with permission from the Chief Inspector of Factories.

- *Please check the regulations in the relevant state*. Daily rest period of at least half an hour after 5 hours of work. Total period of work (inclusive of rest interval) must not spread over more than 10 hours in an day.

Weekly rest of at least one whole day. (No worker is allowed to work for more than 10 days at a time)

Female Workers:

- Generally cannot be employed between the hour sof 7 pm and 6 amj however states can permit females in certain types of industry to work from 5 am to 10 pm

- Nursing mothers (until baby is 15 months old) should have two 15 minute paid breaks per day.

Paid Leave

- One day's leave per 20 days of work (child workers: one day per 15 days) after 240 days worked.

- Wages for leave periods must be paid before the leave period begins.

- Maternity leave for 12 week (maximum 6 weeks pre-natal). Additional one month paid leave in case of illness following delivery. Leave for miscarriage or abortion is 42 days. The woman is eligible for maternity benefits if she has worked for 80 days in the last 12 months.

- All the workers must have national and public holidays (3national holidays- 26th January, 2nd October and 15th August). The festival holidays change from sate to state depending on the ethnicity.

- Notice showing the period and hours of work for all classes of workers and the days observed by the factory as holidays and pay days shall be displayed on the notice boards in English as well as local language.

वेतन व लाभ

शासन द्वारा न्यूनतम वेतन निश्चित किया गया है. हर राज्य में तथा उद्योग के हर क्षेत्र में न्यूनतम वेतन अलग अलग है. कुल न्यनतम वेतन को निश्चित करने के लिए प्राथमिक वेतन में महगाई भत्ता, डी. ए. जोड़ दिया जाता है. कुल वेतन व प्राथमिक वेतन + डी.ए.

जिन कारखानों में १००० से काम व्यक्ति है वहां वेतन हर महीने के सात तारीख के पहले दिया जायेगा. और अन्य कारखानों में वेतन हर महीने के १० तारीख से पहले देना अनिवार्य है.

वेतन हर महीने देना अनिवार्य है.

वेतन की रकम भारतीय रुपयों में या धनादेश द्वारा या अगर कर्मचारियों की सम्मति से बैंक के खाते में जमा किया जायेगा. कर्मचारियों को

वेतन पत्रक दिया जाना चाहिए जिसमे काम के जानते तथा दिन, वेतन कटौती आदि का समावेश रहेगा.

सभी कर्मचारियों को, जिसमे अर्ध वेतन ठेके पर लिए गए कर्मचारी तथा प्रशिक्षार्थी, बच्चे अर्धक कर्मचारी और बाहरी कर्मचारी, घर में काम करने वाले कर्मचारी का समावेश रहेगा. हफ्ते के लिए न्यूनतम वेतन ४८ घंटों के मानदंड अनुसार दिया जायेगा.

साधारण काम के दिन के लिए अतिकालिक वेतन ८ घंटों से ज्यादा समय के लिए २०% ज्यादा रहेगा.

प्रशासन को जरुरी है की वो कर्मचारियों का रजिस्टर रखे.

दंड, वेतन नुकसान व हनी के लिए कटौतियाँ तथा कर्मचारियों को दी गयी अग्रिम रकम के लिए प्रशासन रजिस्टर रखेगा. न्यूनतम वेतन तथा विशेष भत्ता दर्शाने वाली नोटिस प्रशासन द्वारा कारखाने में अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में प्रर्दशित की जायेगी.

ठेकेदार के कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन मुख्य प्रशासन के प्रतिनिधि की उपस्थिति में अदा किया जायेगा.

WAGES AND BENEFITS

- Minimum wage is set by the Government. The range of minimum wages varies according to the state and to the sector of industry.
- Dearness Allowance (DA) (cost of living) is applied to the basic wage each year to give the total minimum rate. (Total wages = basic wage +DA)
- Factories employing less than 1,000 persons must pay wages before the end of the 7th day of every month and

other factories must pay wages before the end of the 10th day of every month.
- Wages should be paid every month
- All wages should be paid in Indian rupees or by cheque or into bank account, if agreed by worker.
- Workers must receive pay slips stating hours and days worked wages, deductions, etc.
- All workers, including workers on piece-rates, contract laborers and apprentices, children, handicapped workers, and out-workers (including home workers) should receive the minimum wage for a 48 hour standard working week.
- Overtime should be paid at the rate of 200% for hours in excess of 8 hours on a normal working day.
- The employer must hold a register of employees.
- The employer must maintain a register of fines, wages, deducting, for damage or loss and advances made to the employees.
- The employer must display in his factory a notice containing rates of minimum wages and special allowances, in English as well as local language.

Wages to contract labour must be paid by the contractor in presence of a representative of the principal employer.

सामाजिक सुरक्षा लाभ
जहाँ पर २० से ज्यादा कर्मचारी हैं. वहां कारखानों द्वारा निम्नस्वरुप सहभाग होना अनिवार्य है.
भविष्य निर्वाह निधि, प.ऍफ़. अंशदान: प्रशासन द्वारा दिए जाने वाले वेतन के १२% एवं कर्मचारी वेतन के १२% एम्प्लोयीस, स्टेट इन्सुरंस, ई. एस. आई. योजना कर्मचारी के वेतन के १.७५%, कर्मचारी और ४.७५% प्रशासन, वैद्यकीय लाभ, बीमारी का लाभ, प्रसूति के लाभ, अपंगत्व लाभ, निर्भर व्यक्तियों के लाभ तथा अंतिम क्रिया संस्कार आदि लाभ उपलब्ध किये जाते है.
प्रशिक्षार्थी भविष्य निर्वाह निधि या बोनस के लिए पात्र नहीं है.
बोनस: जो कारखाने चल रहे हैं और जिन में २० से ज्यादा कर्मचारी हैं, और जो पिछले कैलंडर वर्ष में ३० दिनों से ज्यादा काम कर चुके हैं उनको तथा परिविक्षर्थियों को यह लागू होता है.
न्यूनतम बोनस वेतन या मजदूरी के ८.३३% या रु. १०० इनमे से जो अधिक होगा, उतना रहेगा.
अधिकतम बोनस- वेतन का २०%

SOCIAL SECURITY BENEFITS

All factories with more than 20 workers must participate in the following:-

- The Provident Fund (PF) contribution: 12% of employee's wages payable by the employer and 12% PAYABLE BY EMPLOYEE.

- Employees State Insurance (ESI) scheme: 1.175% of the employee's wages (employee) and 4.75% (employer) (provides medical benefit, sickness benefit,

maternity benefit, disablement benefit, dependant's benefit and funeral expenses).

- Apprentices are not entitled to Provident Fund, ESI or Bonus.

BONUS:

- Applies to all factories which have been operating and which have more than 20 workers.

- Applicable to all workers who have worked more than 30 days in the last calendar year, including probationers.

- Minimum bonus of 8.33% of the salary or wage or Rs. 100, whichever is higher.

- Maximum bonus – 20% of wage.

सेवा करार

कानूनी तौर पर रखे हुए विदेशी कर्मचारी कानून से संरक्षित है परन्तु गैरकानूनी विदेशी कर्मचारियों को संरक्षण प्राप्त नहीं है.
कर्मचारी प्रवर्ग:
शिक्षार्थी- शिक्षण वेतन करार पत्र, न्यूनतम वेतन अन्तर्गत नियंत्रित नहीं है.
परिविक्षार्थी- न्यूनतम वेतन+इ. एस. आइ / प. ऍफ़., नौकरी की सुरक्षितता नहीं.
अस्थायी- न्यूनतम वेतन+इ. एस. आइ / प. ऍफ़., नौकरी की सुरक्षितता नहीं.

अनियत- न्यूनतम वेतन+इ. एस. आइ / प. ऍफ़., नौकरी की सुरक्षितता नहीं.
स्थायी- न्यूनतम वेतन+इ. एस. आइ / प. ऍफ़., नौकरी की सुरक्षितता.
अलगाव वेतन: सिवीअरंस पे- अगर एक वर्ष से ज्यादा सेवा किये हुए कर्मचारी को सेवा में से निकला गया तो वह ५०% वेतन के अतिरिक्त महंगाई भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र रहेंगे.
५ वर्ष से ज्यादा सेवा किये हुए कर्मचारी को निलंबित करने के पश्चात् उसे सेवोपहार, ग्राज्युइटी भुगतान किया जायेगा. अस्थायी रूप के ठेके ज्यादा से ज्यादा २४० दिनों के लिए करने चाहिए. जिसे एक वर्ष से आगे चालू रखा जा सकता है. अर्थात दो वर्ष के लिए. अगर ९० दिन के सेवा में खंड हो गया तो प्राथमिक सेवा फिर से शुरू होगी.
हर कर्मचारी को उसकी नियुक्ति, स्थायी सेवा, पदोन्नति, या पुन्वर्गीकरण करते समय लिखित आदेश व्यवस्थापक के हस्ताक्षर के साथ किया जायेगा.
स्थायी स्वरूपी कर्मचारी का सेवा से निलंबन लिखित सूचना प्रशासन या कर्मचारी द्वारा दी जानी चाहिए. यह सूचना मासिक दर के लिए पात्र कर्मचारियों ने एक माह पूर्व तथा अन्य कर्मचारियों ने दो सप्ताह पूर्व देना अनिवार्य है. अगर सूचना नहीं दी गयी तो एक माह का या दो सप्ताह का वेतन देना जरुरी है,

CONTRACT OF EMPLOYMENT

- Legal foreign workers were protected under the law; however, illegal foreign workers have no protection.

Employment categories:

- Apprenticeship - Stipend agreement (not governed by minimum wage)
- Trainee – Stipend agreement (Proper Scheme) + ESI/PF
- Probationary – minimum wage + ESI/PF, no job security
- Temporary – minimum wage + ESI/PF, no job security
- Casual - minimum wage + ESI/PF, no job security
- Permanent - minimum wage + ESI/PF +job security
- Severance Pay – if a worker with more than one year's service is laid off work, they are entitled to 50% wages plus Dearness Allowance.
- Upon termination, a gratuity payment must be made to workers with more than 5 years service.
- Temporary Contracts should be for a maximum of 240 days, with 1 year continuation i.e. 2 years. If there is a break in employment of 90 days, the initial employment starts again.

- Every worker at the time of his appointment, confirmation, promotion or reclassifation shall be given a written order specifying this, signed by the manager.

Termination of employment of a permanent employee: Notice in writing must be given, either by the employer or the employee. This should give one month's notice in the case of monthly rated employee and two weeks notice in the case of other employees. One months or two weeks wages should be paid, as the case may be, in lieu of notice.

अनुशासनीय

मानवीय अधिकार की वैश्विक घोषणा का स्वीकार भारत ने किया है. जिसका जिक्र अनुच्छेद आर्टिकल ५ में किया गया है. जिसके अनुसार किसी के भी साथ अत्याचार, अमानवीय या मानहानिजनक व्यव्हार या दंड नहीं दिया जा सकता.

कामुक अत्याचार पर पाबन्दी लाना और ऐसी किसी स्थिति में निराकरण के लिए विधिवत पद्यति का अंगीकार करना प्रशासन का कर्तव्य है.

गैर व्यव्हार के लिए कर्मचारी को निलंबित किया जा सकता है. परन्तु लिखित आरोप पत्र बना कर कानूनी रूप से पूछताछ आयोजित कर वैद्य पद्यति का अंगीकार किया जायेगा.

अगर कर्मचारी गैर व्यव्हार के लिए दोषी पाया गया तो चार दिन से ज्यादा निलंबित नहीं किया जा सकता. तथा उसे बिना नोटिस या बिना क्षतिपूर्ति दिए नहीं निकाला जा सकता है. गैर व्यवहार में निम्न स्वरुप मामलों का समावेश है: जानपूछ कर आज्ञा का पालन नहीं करना, चोरी करना, भ्रष्टाचार या अप्रमाणिकता, प्रशासन की जायजाद को जानपूछ कर क्षति पहुचाना, घूसखोरी करना, हमेशा छुट्टी लिए बिना १० दिन से

ज्यादा गैरहाजिर रहना, हमेशा देर से आना, प्रतिष्ठान के लिए लागू किसी भी नियम का उल्लंघन करना, किसी भी कानून के खिलाफ हड़ताल करना या अन्य व्यक्तियों को हड़ताल के लिए भड़काना, कानून हाथ में लेना, कामुक अत्याचार करना.

दंड कुल वेतन के ३% से जयादा नहीं होगा.

१५ वर्ष से अन्दर किसी भी व्यक्ति को दंड नहीं होगा.

DISCIPLINARY

- India has ratified the Universal Declaration of Human Rights, which states in Article 5 that no one shall be subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

- Employers have a duty to prevent or deter sexual harassment and to provide the procedures for resolution of such situations.

- Workers may be dismissed for misconduct, but the employer must follow the legal procedure by preparing a written charge sheet and holding a full enquiry.

A worker may be suspended for a period not exceeding four days at a time, r dismissed without notice or any compensation in lieu of notice, if he is found to be guilty of misconduct. Misconduct includes the following acts:

- Willful disobedience; theft, fraud or dishonestly; willful damage to employer's property; bribery; habitual absence without leave or absence without leave for more than 10 days; habitual late attendee; habitual breach of any law applicable to the establishment; riotous or disorderly behaviour; habitual negligence or

neglect of work; striking work inciting others to strike work in contravention of the provision of any law, or rule having the force of law; sexual harassment.

- Fines should not exceed 3% of gross wages.
- No worker under 15 can be fined

पर्यावरणात्मक व्यवस्थापन

कोई भी उद्धोग, प्रचालन या प्रक्रीया से विहीत मापदण्डो से अतिरिक्त पर्यावरणात्मक प्रदुषण उत्सर्जित नही करने चाहिए!

अगर किसी भी पर्यावरणात्मक प्रदुषण के उत्सर्जन की मात्रा विहीत मापदण्ड से ज्यादा होगी तो जिम्मेदार वयक्ती ऐसी जानकारी संबंधित प्रधीकारी एवं कार्यालयो को उपलब्ध करेंगे!

कोई भी वयक्ती जानबूझ कर कोई भी विषैली या प्रदूषित पदार्थ को प्रवाह मे, कूऔ मे या गटरों मे या जमीन पर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जाने नहीं देगा!

क्लीन ऐअर पोल्युशन अक्ट के अनुसार कारखानों को अनुज्ञप्ति लेना जरूरी है, जिसमे किसी भी जनरेटर की शक्ति एवं उत्सर्जन स्टेंक की उचाई का तपसिल दिया जाता है !

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

- No industry, operation or process, shall discharge or emit any environmental pollutants in excess of the prescribed standards.
- If the discharge of any environmental pollutant is in excess of the prescribed standards, the responsible person shall provide such information to the relevant authorities and agencies.
- No person shall knowingly cause or permit any poisonous, noxious or polluting matter to enter (whether directly or indirectly) into any stream or well or sever or onto land.
- Clean Air Pollution Act requires factories to obtain a permit, which details the powers of any generator and also emission stack height.

उपलबधता श्रुखला ब्यस्थापन

कारखाने के मुख्य प्रशासक ने कारखाना पंजीक्रीत करना अनिवार्य है! हर ठेकेदार ने ठेके पर कामगारों द्वारा काम कराने के लिए फैक्ट्रीज अक्ट कारखानों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी चाहिए!

कर्मचारीयो की सुबधा के लिए ठेकेदार ने भोजनालय, विश्रांती गृह, शोवगृह, मूत्रालय, पीने का पानी , नहाने धोने के लिए सुविधा, प्रथमोपचार पैटी आदि उपलब्ध करना चाहिए! उन्होंने ठेके पर लिए कामगारों को समय पर और उचित वेतन देना चाहिए!

अगर ठेकेदार सुविधा उपलब्ध करने मे या वेतन अदा करने मे असमर्थ हो, तो ठेके पर रहे कर्मचारीयो को सुविधा उपलब्ध करना या वेतन अदा करने जिम्मेदारी प्रमुख प्रशासन की रहेगी!

ठेकेदार के कर्मचारीयो के आरोग्य एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी!

कांट्रेक्ट लेवर रेग्युलेशन अक्ट १९७० के अन्तर्गत अगर प्रशासक के पास २० या ज्यादा कर्मचारी काम की जगह पर रहेंगे, तो उसे पंजीक्रीत होना और अक्ट के नियमो का पालन करना जरूरी है!

ठेकेदार के कर्मचारीयो को प्रमुख प्रशासन के प्रतिनिघी की मौजुदगी मे वेतन अदा करना चाहिए!

MANAGEMENT COMMITMENT

Site management demonstrates a willingness to improve on any significant areas of concern identified and is committed to working towards meting the standards.

What you can do:

- Take responsibility for meeting these standards

Be honest about what your site is / isn't achieving

प्रबंधन प्रतिबद्धता

कार्यस्थल प्रशासन महत्पूर्ण मामलो को पहचान कर उन पर स्वेच्छा से सुधार की और प्रदर्शित करे !

और विहीत मापदण्डो को पूर्ण करने की और प्रतिव्द्धता से कार्य करे !

आप और क्या कर सकते है !

•. इन मापदण्डो को पूर्ण करने की और जिम्मेदारी ले !

•. इमान्दारी से क्या आपके कार्यस्थल ने प्राप्त कीया है और क्या नहीं किया है प्रदर्शित
करे !

MANAGEMENT COMMITMENT

Site management demonstrates a willingness to improve on any significant areas of concern identified and is committed to working towards meeting the standards.

What you can do:

- Take responsibility for meeting these standards

Be honest about what your site is / isn't achieving

PART-II

1. स्वास्थ्य और सुरक्षा

हमारे कार्मिकों, ठेकेदारों, ग्राहकों और अन्य के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर कार्यस्थल पर हमारी गतिविधियों के कारण पड़ने वाला प्रभाव, टीयूवी रेनलैंड के लिये प्राथमिकता पर है। चोट लगने की दर शून्य पर पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। इसे हासिल करने के लिये असुरक्षित व्यवहार और परिस्थितियों को रोकने के लिये सभी को मिलकर कार्य करना ही होगा।

- लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और कार्यस्थल की सुरक्षा
- हम जिसमें रहते हैं, उस पर्यावरण की सुरक्षा
- मशीनी संपत्तियों और उपकरणों की सुरक्षा
- बौद्धिक संपदा की सुरक्षा
- हमारे उत्पादों और सेवाओं को उपयोग करने वालों के लिये सुरक्षा

HEALTH AND SAFETY

The health and safety of our employees, contractors, customers and others affected by our activities in the workplace are key priorities for TUV Rheinland. Our goal is to have zero injuries. To achieve this, everyone must work together to prevent unsafe behavior and conditions.

- Safety for people's lives, health and workplace
- Safety for the environment we live in
- Safety for property machinery and equipment
- Safety for intellectual property
- Safety for the users of our products and services

सुरक्षा नीति

- आपातकालीन प्रक्रियाएं (अलार्म, फोन, बचकर निकलने के रास्ते)
- आग से सुरक्षा
- प्राथमिक चिकित्सा
- व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण
- रूकावट जानकारी/सूचना
- चोटों की जानकारी
- सीमित स्थान
- गिरने से सुरक्षा
- प्रक्रियाओं को अवमुक्त करना
- सुरक्षा बैठक (टूलबॉक्स)

SAFETY POLICY

- Emergency procedures (alarms, phones, evacuation routes)
- Fire protection
- First Aid
- Personal Protective Equipment
- Hazard communication/reporting
- Injury reporting
- Confined Spaces
- Fall Protection
- Lockout procedures
- Safety meetings (Toolbox)

लोगों और उनके कार्यस्थल के लिये सुरक्षा

- आग और विस्फोट सुरक्षाएं
- जहरीले और हानिकर रसायन
- बिजली उपकरणों पर कार्य करने के दौरान सुरक्षा
- मशीनों और उपकरणों के उपयोग और उनके परिवेशीय शोर के दौरान सुरक्षाएं
- सामान्य उत्पाद सुरक्षा और उनकी पर्यावरण अनुकूलता
- भूमि, जल, वायु, वनस्पतियों और पशुओं की प्रदूषण और विध्वंस से सुरक्षा

PROTECTION FOR PEOPLE AND THEIR WORKING

Environment

- Fire and explosion protection
- Poisonous and noxious chemicals
- Safety while working on electrical installations
- Safety when using machines and tools and their environmental soundness
- General product safety and their environmental friendliness
- Protection of soil, water, air, plants and animals against pollution and destruction

2. कार्य परिस्थितियां

इसे निश्चित करें-

✓ साफ पानी और हवा की उपलब्धता
✓ प्राथमिक चिकित्सा
✓ कार्य के उचित घंटे
✓ आसपास हानिकारक कचरे का न होना
✓ सुरक्षात्मक उपकरणों तक पहुंच
✓ आपात स्थिति के समय बचकर निकलने के रास्तों की व्यवस्था
✓ उत्पादन स्थल पर पर्याप्त वायु संचरण व्यवस्था
✓ शोर स्तर स्वीकार्य स्तर पर
✓ पर्याप्त प्रकाश व्यवस्थाएं
✓ उत्पादन स्थल की स्वच्छता
✓ समुचित प्रसाधन सुविधाओं की व्यवस्था
✓ उपयुक्त जगहों पर खतरे के संकेतों लगायें
✓ महिलाओं के लिये:

○ मातृत्व लाभ
○ कार्य के लचीले घंटे
○ वे महिलाएं,जिनके सामने अपने छोटे बच्चों को फैक्टरी में लाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है, उनको बहुत छोटे बच्चों को दुग्धपान कराने के लिये समय-समय पर कार्य से विराम दिया जाये। यदि बच्चों को रखने के लिये कोई अलग क्षेत्र की व्यवस्था संभव हो सके, तो यह स्थल किसी गर्म, धात्विक या हानिकर पदार्थ के नजदीक नहीं होना चाहिए।

WORKING CONDITIONS

Make sure

- ✓ Access to clean water and air
- ✓ First aid
- ✓ Reasonable working hours
- ✓ No hazarduos wastes in the vicinity
- ✓ Access to protective equipment
- ✓ Provision for evacuation/ exits in case ofemergency
- ✓ Adequate ventilation is there in the production area
- ✓ Noise level is acceptable.
- ✓ Lighting Conditions are adequate.
- ✓ Production area is clean.
- ✓ Proper sanitary facilities are given
- ✓ Danger signs should be present and displayed prominently
- ✓ For women:
  - Maternity benefit
  - Flexible working hours
  - Women who don't have a choice but to bring in their children into the factory. Make sure that periodic breaks are given for feeding very young chilren. If posible separate area can be designated for keeping the children. This area should be away from any hot, metallic or hazarduos material.

3. फैक्टरियों में कार्य करने के दौरान पूर्वसावधानियां

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), जो भी कार्य दशाओं के अनुरूप आवश्यक हों, उनको अवश्य उपयोग किया जाये चाहे इनके उपयोग में कुछ असुविधा महसूस हो, और कार्य निबटाने में अधिक समय लगे, तो भी। कार्यस्थल पर जाते समय हर व्यक्ति को सामान्य पीपीई के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, जो साइट पर कार्य करने के दौरान सभी

लोगों के लिये अनिवार्य हैं। पीपीई की अतिरिक्त अनिवार्यताओं को जोखिम आकलन गतिविधियों, एमएसडीएस और साइट प्रक्रियाओं के जरिये चिन्हित किया जा सकता है।

Precautions when working in factories

Use of Personal Protective Equipment

Personal Protective Equipment (PPE), as required by the work conditions, must be used even if it causes discomfort and may take longer to finish the job. During site orientation the individual shall be informed on the general (PPE) that is required for all personnel while working at the site. Additional (PPE) requirements shall be identified through risk assessment activities, MSDS and site procedures.

आग सुरक्षा

यदि आप हॉट वर्क अर्थात ऐसा कार्य संपन्न करते हैं जिसमें आमतौर से खुली लपटों या चिनगारियों को उत्पन्न करने वाले उपकरण इस्तेमाल करने होते हैं, तो आपको कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए:

सेफ जॉब एनालिसिस (एसआईए) परफार्म करें

आपके पास सदैव समुचित अग्निरोधी उपकरण मौजूद होने चाहिए।

यदि आप आग लगी देखें, यदि आप आग लगी देखें तो आपको तुरंत जिम्मेदारी पूर्वक कार्यवाही के लिये खुद को तैयार करना चाहिए

- निश्चित करें कि उस क्षेत्र में सभी लोगों को चेतावनी दी जा चुकी है, उनको बचकर निकलने में मदद करें।
- फायर अलार्म बजाएंा
- दमकलविभाग को टेलीफोन से सूचित करें। सटीक पता दें।
- आग के केन्द्र पर अग्निरोधी उपकरण इस्तेमाल करते हुए आग को काबू रखने का प्रयास करें।

FIRE SAFETY

If you have to carry out 'Hot Work' i.e. work with tools or equipment that generate open flame or sparks, you must take special precautions:
Perform Safe Job Analysis (SJA).
You must always have the correct fire extinguishing equipment available.

If you discover a fire

- When you discover a fire you must take responsibility and spring into action:
- Ensure that all others in that area are warned, allowing them to escape.
- Activate the fire alarm.
- Call the Fire Department on telephone. Give accurate address.
- Try to put out the fire by aiming the fire extinguisher at the base of the fire.

अग्निरोधी उपकरण

सभी अनुमोदित अग्निरोधी उपकरण उस आग से चिन्हित होने चाहिए, जिसके लिये वे खासतौर से बनाए गए हैं। सेक्शन 3 प्रीपेयर्डनेस पहुंच अनुमति याद रखें

उठाकर ले जाने योग्य अग्निरोधी उपकरणों का वर्गीकरण

क्लॉस ए : ठोस वस्तुओं, खासतौर से कार्बनिक स्रोतों की आग, जो सामान्यतया चमक के साथ जलती है।

क्लॉस बी :तरल या ठोस पदार्थों की आग जो तरल में बदल सकती है।

क्लॉस सी :गैसों की आग।

क्लॉस डी :धातुओं की आग।

क्लॉस ई : विद्युत आग।

नोट: *विद्युत उपकरणों की आग बुझाने में (1000 वोल्ट एसी और 1500 वोल्ट डीसी के अनुरूप अलग-अलग) उपयुक्त अग्निरोधी उपकरणों पर चिन्हित होना चाहिए।*

Fire Extinguishers

All approved fire extinguishers are marked with the type of fire they are intended for. Section 3 Preparedness Remember Access Permission Classification of Portable Fire Extinguishers
Class A: Fires in solid materials, mainly of organic sources, which normally burn with a glow.
Class B: Fires in liquids or solid materials which can turn into a liquid.
Class C: Fires in gases.
Class D: Fires in metals.
Class E: Electrical Fire.
Note: Suitability for use in electrical equipment fires (up to 1000 V AC and 1500 V DC) must be indicated on the extinguisher.

प्राथमिक चिकित्सा का पहुंच में होना सुनिश्चित करें

विशेषज्ञों की मदद पहुंचने से पूर्व दुर्घटना स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करायें।

दुर्घटना होने के बाद घायल व्यक्ति को विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा उपचार मिल पाने में हमेशा कुछ न कुछ समय लग जाता है। इस अवधि में घायल व्यक्ति की सहायता किया जाना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। समुचित प्राथमिक चिकित्सा- जीवन बचाती है, स्थायी नुकसान होने से रोकती है, पीड़ा को कम करती है, घायल को जल्दी ठीक होने में योगदान करती है।

MAKE SURE FIRST AID IS AT HAND

Facilitate first aid at the accident site before qualified help arrives.

There will always be a delay from the time of the accident until the victim can be treated by qualified personnel. In this period it is very important that the injured person receives assistance. Proper first-aid can: save life – prevent permanent damage – reduce pain – contribute to an early recuperation of the victim.

यदि आप दुर्घटनास्थल पर पहुंच सकें,तो यह जिम्मेदारी संभालें:

✓ दुर्घटनास्थल पर सुरक्षा।
✓ आपातकालीन नम्बरों पर कॉल करें।
✓ प्राथमिक चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करें।
✓ गतिविधियों की अगुवाई करें और सीधे, सरल निर्देश दें।

If you reach the accident site, take charge

- ✓ Secure the accident site
- ✓ Call the emergency number
- ✓ Organize first-aid assistance
- ✓ Delegate activities and give direct, simple instructions.

डरना ठीक है, लेकिन शांत और दृढ़ रहना जरूरी है

✓ जीवन रक्षक प्राथमिक चिकित्सा दें।

✓ जांच कर निश्चित करें कि घायल सांस ले रहा है। हवा आने का रास्ता बनायें।

✓ खून बहना रोकें।

✓ सांस नहीं ले रहे अचेत घायल के लिये कृत्रिम सांस की व्यवस्था करें।

Being afraid is ok, but stay calm and decisive

- ✓ Give life-saving first-aid.
- ✓ Make sure that the victim is breathing. Keep air passages free
- ✓ Stop the bleeding
- ✓ Start resuscitation of the unconscious victim, who is not breathing.

अचेत व्यक्ति की जांच करें और होश में लाने का प्रयास करें

✓ आहिस्ता से घायल के कंधों को थामकर उसे हिलायें और पूछें:क्या आप सचेत हैं?

✓ यदि घायल सचेत हो, चोटों की जांच करें।

✓ यदि घायल अचेत हो, सांस की जांच करें।

✓ आपात नम्बरों पर फोन करें

✓ सांस की जांच करना

- हवा आने का रास्ता बनायें। सिर को पीछे झुकाएं और जबड़े को दो अंगुलियां अंदर डालते हुए खोलें।अपने गाल/कान, घायल के मुंहऔर नाक के करीब रखें,
- सांस लेने की क्रिया को सुनने और महसूस करने का प्रयास करें।
- सीने का नीचे गिरना और ऊपर उठना जांचें।
- इस प्रकार हालात का मूल्यांकन करने के बाद और प्राथमिक चिकित्सा वाले व्यक्ति के आने से पूर्व आपको अपने पास मौजूद जीवनरक्षक प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था करनी चाहिए।

✓ घायल को स्थिर सीधी दशा में रखें। समुचित सांस लेना सुनिश्चित करें।

✓ घायल को उसके साइड में हवा के अवमुक्त प्रवाह के लिये लिटाया जा सकता है।

✓ सिर को पीछे की ओर झुकाएं और चेहरे को इस भांति रखें कि मुंह नीचे को रहे, हाथ ठोढ़ी को नीचे से सहारा
दें।

✓ मुंह से खून या उल्टी साफ करें।

✓ निरंतर जांच करें कि व्यक्ति सांस ले रहा है।

✓ *अचेत व्यक्ति, जो सांस नहीं ले रहा हो, उसे फौरन कृत्रिम सांस दें।*

✓ मदद के लिये बुलायें-आपात नम्बरों पर कॉल करें।

✓ सिर को पीछे की ओर झुकाएं, एक हाथ माथे पर रखें और नथुनों को दो अंगुलियों से दबायें।

✓ निचले जबड़े को अपने दूसरे हाथ की तर्जनी और मध्यमा अंगुलियों से उठाएं।

✓ व्यक्ति के मुंह को अपने मुंह से ढकें, हवा फूंकेंऔर सीने का उठना गिरना जांचें।

✓ आहिस्ता से फूंकें, जल्दबाजी न करें।

✓ हवा निकलने दें और सीना नीचे जाने दें।

✓ सीना दबाने से पहले दो बार हवा फूंकें।

✓ *हृदय/फेफड़ों को चालू करना*

- हथेली को निपल्स के मध्य में रखें। दूसरे हाथ को पहले हाथ पर रखें। अंगुलियों को सीने पर से उठायें।
  आपका केवल अपनी हथेली से दबाना है। बाहें सीधी रखें।
- 100 प्रति मिनट की लगभग आवृत्ति के साथ 30 बार दबायें। हर बार दबाये जाने पर पसलियों को लगभग
- 4-5 सेमी. दबना चाहिए।
  दो बार लगातार हवा फूंकें। इसके बाद 30 बार दबायें। डॉक्टर के आने या चिकित्सकीय सहायता के प्राप्त
  होने तक यही जारी रखें।

✓ *घातक रक्तस्राव रोकें।*

धमनियों से रक्तस्राव नाड़ी की गति के साथ निकलता है। इस प्रकार का रक्तस्राव जानलेवा हो सकता है। इसे निम्न प्रकार से रोका जाना चाहिए:

- चोटस्थल पर सीधे दबाव बनायें।
- रक्तस्राव वाले अंग को ऊंचा उठायें।
- कसकर पट्टी बांधें।

✓ *कटी-फटी बांह या पैर के लिये, रक्तबंध लगायें।*

- रक्तबंध को घाव के जितना करीब हो सके, बांधें।
- रक्तबंध में एक खपच्ची बांधें और समुचित दबाव के साथ कसें।
- बांधने के लिये चौड़ी पट्टी का इस्तेमाल करें।

✓ रक्तसंचार में कमी आने से रोकें।

रक्तस्राव के कारण या अग्नि से जलने के कारण ज्यादा तरल हानि होने से रक्तसंचार मन्द पड़ सकता है।

- बाहरी रक्तस्राव रोकते समय, पैरों को उठाये रहने से और घायल को गर्म रखने से इसे रोका जा सकता है।
- मन्द रक्तसंचार वाले घायल को कभी भी तरल पेय न दें।
- घायल व्यक्ति की हालत की निरंतर जांच की जानी चाहिये।
- चोटें अचानक गंभीर हो सकती हैं और अतिरिक्त प्राथमिक चिकित्सा की जरूरत पड़ सकती है। लोगों की मौजूदगी, सकारात्मक और सहयोगी असर डालती है।

EXAMINE THE UNCONSCIOUS PERSON AND TRY TO GET CONTACT.

- ✓ Try to wake up the victim by gently shaking his Shoulders and call: Are you awake?
- ✓ If the victim awakes – look for injuries.
- ✓ Is the victim unconscious – check breathing.
- ✓ Call the emergency Number
- ✓ Check breathing
  - Free air passages: move the head backwards and lift the jaw forward with two fingers under the jaw.
  - Hold your cheek/ear close to the victim's mouth and nose – listen and feel for breathing.
  - Check if the chest moves up and down.
  - Life-saving first-aid covers those activities you must carry out after the evaluation of the situation and before the first-aid personnel arrives.

- ✓ Place in stable lateral position, ensuring proper Breathing.
- ✓ The injured person is placed on his side to ensure free air passage.
- ✓ Bend the head backwards and place the face with the mouth low, with the hand as support under the cheek.
- ✓ Remove blood and vomit from the mouth.
- ✓ Continuously check that the person is breathing.
- ✓ Unconscious person who is not breathing, Start resuscitation
- ✓ Summons help – call the emergency Number
- ✓ Bend the head backwards. Place a hand on the
- ✓ Forehead and pinch the nostrils with two fingers.
- ✓ Lift the lower jaw with the index- and middle finger of your other hand.
- ✓ Cover the person's mouth with your mouth, blow in air and check that the chest moves upward.
- ✓ Blow Slowly and not too vigorously.

- ✓ Let the air escape and check that the chest descends again.
- ✓ Repeat the blowing twice before chest Compression

✓ Heart / Lung rescue

- Place the base of the hand centered between the nipples. Place the other hand on top of the first hand. Lift the fingers from the chest. You must only press with the base of the hand. Arms straight.
- Apply 30 compressions with a frequency of about 100 per minute. The breastbone must be pressed down approximately 4-5 cm with each compression.
- Continue to blow in air 2 times, followed by 30 compressions, etc. Carry on until a doctor or medic can take over.

✓ Stop severe bleeding.

Arterial bleeding is characterized by pulsating discharge. This type of bleeding can be mortal. It can be stopped as follows:

- Apply direct pressure at the injury location.
- Raise the bleeding location.
- Apply a pressure bandage

✓ For Torn arm or leg, ***apply a tourniquet.***

Apply the tourniquet as close to the wound as possible. Attach a stick to the tourniquet and turn to apply proper pressure.
Use wide bandage material.

✓ Prevent loss of blood circulation.

Large fluid loss caused by bleeding or burns can result in loss of blood circulation. Stopping the external bleeding, elevating the legs and keeping the victim warm can prevent this.

- Never give liquids to an injured person with loss of blood circulation!

- An injured person must be constantly watched.
- Injuries can suddenly worsen, requiring additional
- First-aid assistance. The presence of people can have a calming and supporting effect.

कार्य और पहुंच अनुमतियां

विशिष्ट कार्य या विशिष्ट कार्यक्षेत्रों में आदर्श सुरक्षा स्थिति प्राप्त करने के लिये, कार्य अनुमति प्राप्त करने की जरूरत हो सकती है, साथ ही सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण में भाग लिया जाना और घटना स्थल पर सही सुरक्षा उपायों और उपकरणों का उपलब्ध होना भी आवश्यक है। ओएचएस आवश्यकताओं से परिचित होना जरूरी है और कार्यस्थल पर लागू नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए।
तैयार रहें

WORK AND ACCESS PERMISSION

To achieve optimum safety for special work or within special areas, it is required to obtain a work permit, Participate in related training and have the correct safety measures and -equipment in place. It is important to be familiar with OHS requirements and follow the rules and procedures, which are applicable on the work site.

हानिकर उत्पाद

हम अपने कार्यस्थल पर ऐसे अनेक उत्पाद उपयोग करते हैं, जो छोटी और लंबी दोनों समयावधियों में स्वास्थ्य समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। उत्पाद के बारे में दिये गये सुरक्षा विवरण पत्रक को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्पाद का सावधानीपूर्वक उपयोग करें।

नुकसानदेह पदार्थ

- लेबल पर दिये निर्देशों का पालन करें और कार्यस्थल पर उपयोग किये जाने वाले प्रत्येक रासायनिक उत्पाद के लिये संदर्भित मैटेरियल सेफ्टी डेटा शीट (एमएसडीएस) का पालन करें।
- बिना लेबल लगे कन्टेनरों और अचिन्हित सिलेंडरों में मौजूद रसायनों का प्रयोग न करें।

BE PREPARED

Noxious Products

Many products we use in our work can cause health problems, both immediate and long term. Read the" Safety data sheet" for the product you are about to use carefully.

Hazardous material

- Follow the instructions on the label and in the corresponding Material Safety Data Sheet (MSDS) for each chemical product used in your workplace.
- Do not use chemicals from unlabeled containers and unmarked cylinders.

सदैव व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनें

कार्य स्थितियों के अनुरूप आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अवश्य उपयोग में लाये जाने चाहिए, चाहे इनको पहनना असुविधाजनक हो और इससे आपको कार्य पूरा करने में अधिक समय लगे। विभिन्न कार्यस्थल और कार्यप्रक्रियाओं में अलग प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं को जानें और इनका पालन करें।

ALWAYS WEAR PERSONAL SAFETY EQUIPMENT

Personal safety equipment, as required by the work conditions, must be used, even if it can cause discomfort and may take you longer to finish the job. Different work sites and operations have different requirements for the use of personal safety equipment. Get acquainted with these requirements and follow them.

वेल्डिंग में सुरक्षा

वेल्डिंग में आग और चिनगारियां निकलती हैं और यह आग लगने या विस्फोट होने का कारण बन सकती है और हानिकारक धुआं, गैस और धूल (आर्क वेल्डिंग) जैसे वायु प्रदूषण उत्पन्न करती है। वेल्डिंग में एक तीखी चमक भी उत्पन्न होती है, जिससे आंखों को नुकसान पहुंच सकता है।

- सभी गैस सिलेंडरों के लिये नॉन रिटर्न वॉल्व और फ्लैशबैक अरेस्टर्स की व्यवस्था करें।

Protection in welding

Welding can cause fire and explosion danger and creates air pollution as noxious smoke, gas, and dust (Arc welding). Welding also generates a strong flash, which may cause eye damage.

- Install flashback arrestors and non-return valves for all gas cylinders

अस्थायी इंस्टालेशन और उपकरण

अस्थायी इंस्टालेशन या बिजली के उपकरणों को बदलने/मरम्मत करने के काम केवल कुशल व्यक्तियों/कारीगरों द्वारा किये जाने चाहिये।

- रिसेप्टेकल्स में कभी भी ढीले तार न लगायें।
- घर के बने फ्यूज कभी प्रयोग न करें।
- दोषयुक्त उपकरणों का कभी प्रयोग न करें (ये जानलेवा साबित हो सकते हैं)
- दोषयुक्त उपकरणों, केबल, प्लग आदि को मरम्मत के लिये भेजें।
- घिसे-पिटे उपकरणों का प्रयोग मत करें।

Temporary Installations And Tools

Only skilled personal/craftsmen may carry out temporary installations or change / repair electrical tools.

- Never insert loose wires in receptacles.
- Never use home-made fuses.
- Do not use defective tools (danger to life).
- Send defective tools, cable, plugs, etc for repair.
- Do not use worn out or rounded tools
- Do not use tools with “Mushroom Head”

दुर्घटना रोकथाम

गतिहीन और बार-बार की जाने वाली मांसपेशियों की गतिविधियां

इस प्रकार का कार्य असुविधाजनक हो सकता है। गतिहीन खिंचाव, मांसपेशियों में छोटी या लम्बी अवधि में कुछ तनाव उत्पन्न कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप रक्त का प्रवाह घट सकता है और इसलिये मांसपेशियों की कोशिकाओं को कम ऑक्सीजन मिल पाती है। इससे अनुपयुक्त उत्पाद संचय होता है। इसके नतीजे के तौर पर मांसपेशियों में दर्द, और लम्बी अवधि में स्थायी रूप से बीमारियां आ सकती हैं।

Accident Prevention

Static and repetitive muscle activities

This type of work can be uncomfortable. Static strain maintains the muscles in the same tension over a shorter- or longer period. This results in reduced blood flow and thus less oxygen to the muscle cells, which in turn leads to the accumulation of waste products. The result is muscle pain, and in the long-term chronic ailments.

बीमारी रोकथाम की जानकारी:

छोटे विराम, खिंचाव एक्सरसाइज, कार्यस्थल का खाका और संगठन, सभी मांसपेशी समूहों की नियमित ट्रेनिंग,
सही उपकरण।

यदि आप अपने हाथों को अपने कंधों से अधिक उंचाई पर रखकर कार्य कर रहे हैं या स्टेशनरी डेस्कटॉप कार्य करते हैं, तो खिंचाव से लगने वाली चोटों के प्रति सचेत रहें।

Catch Words for Ailment Prevention:
Mini breaks, stretch exercises, layout and organization of the work place, regular training of all muscle groups, Correct tools. Be aware of strain injury if you are working with your hands over shoulder height or perform stationary desktop work.

भार उठाना और ले जाना

कार्य की एकरूपतापूर्ण आवृत्ति, खिंचाव चोटों को जन्म दे सकती है। ऐसी बीमारियों के जोखिम कम करने के लिये आपको निम्न पर विचार करना चाहिए:

- कार्य का समुचित संगठन
- कार्य चक्र
- जिम्नॉस्टिक ब्रेक
- मिनी ब्रेक
- कार्यस्थल का ढांचा

यह भी ध्यान दें कि आप किस अवस्था में- खड़े, चल रहे, बैठे, भार ले जा रहे, भार उठा रहे, खींच/धकेल रहे हैं। भार उठाने की सही तकनीकों और मुद्राओं का प्रयोग करें।

Lifting and Carrying

Uniform repetitive is work one of the main causes of strain injuries. To reduce the risk of such ailments you should Consider:

- Proper work organization
- Job rotation
- Break gymnastics
- Mini breaks
- Layout of the work place

Also consider how you: Stand, walk, sit, carry, lift, push/pull
Use the correct lifting technique and posture

भार उठाने के उपकरण

केवल अनुमोदित उपकरणों का प्रयोग करें जो प्रमाणपत्र संख्या और अनुमन्य अधिकतम कार्यकारी भार से चिन्हित हों।
भार उठाने के दोषपूर्ण उपकरणों पर लेबल लगाकर उनको कार्यस्थल से अवश्य ही हटा दिया जाना चाहिए।

- एक लटकते भार के नीचे या आस-पास कोई खड़ा न हो।
- भार उठाने वालेउपकरण को धारदार कोरों से क्षतिग्रस्त होने से बचायें।
- भार उठाने से पहले, रस्सियों और बंधों की जांच करें।
- भार उठाने वाले कार्यक्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश रोकने के लिये घेराबन्दी करें।
- लिफ्टिंग सुपरवाइजर, रिगर और सिग्नलमैन को भार से एक निश्चित दूरी पर खड़े होना चाहिए।
- विशिष्ट गतिविधियां और उपकरण

Lifting Equipment

Use only approved equipment, marked with certificate number and permissible maximum working load. Defective lifting equipment must be labeled and removed from the working site.

- Nobody must stand under or near a hanging load.
- Protect the lifting equipment from damage caused by sharp edges.
- Before lifting, visually check the ropes and slings for defects
- Barricade the lifting zone to prevent unauthorized entry. The lifting supervisor, rigger and signalman should stand a distance away from the load
- Use tag line to control bulky load
- Extend the outrigger fully
- Do not stand under suspended load
- Do not ride the load

संकरे क्षेत्रों में कार्य करना

कन्टेनर्स, ब्वॉयलर्स, सिलोस, वेल्स, पाइपलाइन्स और दूसरे संकरे क्षेत्रों में अपर्याप्त वायु संचरण के कारण अक्सर विषप्रभाव की गंभीर घटनायें घटती हैं। विषप्रभाव अक्सर बेहद तीखा होता है। ऐसे संकरे क्षेत्र में कार्य आरंभ करने से पहले जांच लें कि रूम किसी गैस से मुक्त है और पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध है।

Special Activities and Tools

Working in Congested Areas

Serious cases of poisoning have occurred during work in containers, boilers, silos, w ells, pipelines and other Congested areas with insufficient ventilation Poisoning is usually acute. Ensure that before you start work in congested areas, the room is free of gas and contains enough oxygen.

इन प्रश्नों पर विचार करें:

- गैस जोखिम
- आग जोखिम
- ऑक्सीजन की कमी

आपको ऐसे टैंक या रूम में कार्य करना पड़ सकता है, जिसमें ज्वलनशील तरल या गैस उपस्थित हो सकते हैं। सक्षम अधिकरण द्वारा पूर्व परीक्षण मापनों के आधार पर जारी किया गया कार्य अनुमति प्रमाणपत्र प्राप्त करें।

उच्च और मध्यम वोल्टेज के सिस्टम का इंस्टालेशन या आपरेशन करते समय हमेशा नियमों का पालन करें। अतिरिक्त जानकारी के लिये व्यापार संगठनों द्वारा जारी नियमों और शर्तों के मसौदों पर सलाह करें।

Address these questions:

- Gas danger?
- Fire danger?
- Lack of oxygen?

Must you carry out work in a tank or room, which contained inflammable liquids or -gasses? (Obtain a working permission certificate» issued by a competent authority, based on prior test Measurements.)

Always follow the regulations for installation and operation of High- and Medium Voltage systems. For additional information consult the rules and regulations issued by the trade organizations.

रेगुलेशन के लिये महत्त्वपूर्ण विषय:

- इंस्टालेशन कार्य के लिये उपकरण का बिजली रहित होना(बिजली सम्पर्क से अलग होना और अर्थिंग या शार्टसर्किट मुक्त होना) आवश्यक है। उच्च वोल्टेज वाले इंस्टालेशन के समय इसे अनिवार्य रूप से बिजली रहित होना और ग्राउंडेड होना चाहिए।
- प्लानिंग पूर्णतया होनी चाहिए और एक लाइव इंस्टालेशन में या इसके करीब कार्य करते समय एक एसजेए अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
- सभी शामिल लोग सुरक्षा नियमों का सम्पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त होने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जरूरी सुरक्षा जानकारी है।
- जरूरी उपकरण (प्राथमिक चिकित्सा और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण) कार्यस्थल पर अवश्य ही उपलब्ध होने चाहिए।

Important Topics from the Regulations*:*

- The aim shall be to work on the installation while de-energized (disconnected and grounded or Short-circuited). When working on a High-Voltage installation it must be de-energized and grounded.
- The planning must be thorough and a SJA must be carried out when working at or near a live installation.
- All involved personnel must have completed training in safety regulations. Each individual must en sure that he has the required safety knowledge.
- Required equipment (first aid - and personal safety equipment) must be available at the working site.

विद्युत इंस्टालेशन

- जोखिम से बचाव के लिये
- एक इलेक्ट्रीशियन को अपने डिप्टी या प्रोफेशनल इंजीनियर से पूर्व सलाह के बिना (उच्च वोल्टेज इंस्टालेशन के समय) सुरक्षा प्रमुख की जिम्मेदारी स्वयं नहीं उठानी चाहिए।
- सुरक्षा पहलू के बारे में कोई संदेह होने पर हमेशा सुरक्षित कार्य परिचालन के लिये जिम्मेदार इंजीनियर या उसके डिप्टी से सम्पर्क करें।

Electrical Installation

- To Avoid Risks
- An electrician shall not take the responsibility as the safety leader (High-Voltage installation) without prior consultation with the
  Professional Engineer or his deputy.
- When in doubt about safety matters always contact the engineer responsible for safe operation and work or his deputy.

जीवन बचाने वाले उपाय

- कार्य स्थिति की सही जांच करें।
- फिर से कनेक्शन करने के लिये, सुरक्षित रूप से कनेक्शन काटकर जांच करें।
- अन्य जीवित पुर्जों से सुरक्षा रखें।
- नंगे कंडक्टर्स के करीब होने पर खास सावधानी बरतें।
- इंस्टालेशन निष्क्रिय होने की स्थिति में जांच करें।
- अर्थिंग और शार्ट सर्किट को जांचें।
- कार्य हेतु अनुमति जारी करें।

Steps That Save Lives

- Clearly identify the work location
- Disconnect and secure against reconnection
- Protect against other live parts
- Take special precautions when close to bare conductors
- Check if the installation is dead
- Carry out earthing and short circuiting
- Issue a permit to work

विद्युत सुरक्षा-अस्थायी इंस्टालेशन

- सभी विद्युत टर्मिनलों को पूरी तरह से सॉकेट आउटलेट असेम्बली बॉक्स में ढंका जाना चाहिए।
- केवल औद्योगिक प्लग का प्रयोग करें, 3 पिन के प्लगों की अनुमति विनिर्माण कार्यस्थलों पर नहीं है।

- बिजली के केबलों को भूमि पर न छोड़ें, खासकर गीले होने की स्थिति में। तारों को ऊपर उठायें।
- इससे विद्युत शॉक लगने की संभावना खत्म होगी और ट्रिपिंग समस्याएं या केबल के क्षतिग्रस्त होने की संभावना भी नहीं रहेगी।
- किसी भी विद्युत इंस्टालेशन से छेड़छाड़ न करें।

Electrical Safety – Temporary Installations

- All electrical terminals must be totally enclosed in the socket-outlet assembly box
- Use only industrial plugs. 3-pin plugs are not allowed to be used in construction sites
- Do not leave electrical cables on the ground especially when they are wet. Elevate the wires.
- This will prevent electrical shock, tripping hazards and damaging the cables
- Do not tamper with any electrical installation

4. काष्ठ कला उद्योग में सुरक्षा

.

हस्तचालित उपकरणों का उपयोग करते समय

- उपकरण रखने के लिये बंधे हुए कंटेनरों का प्रयोग करें, ताकि पाढ़/मंच या अन्य उठे हुए कार्य प्लेटफार्मों से औजार नीचे नहीं गिरें।
- सभी तेजधार औजारों को म्यान या होलस्टर में रखें।
- पुराने, क्षतिग्रस्त औजारों को नष्ट कर दें।
- झटका देने वाले औजारों, जैसे हथौड़ा, रूखानी, छेनी, या स्टील स्टेक्स आदि का प्रयोग न करें जिनके सिरे फैल चुके हों।

- हाथ की कुल्हाड़ी से कार्य करते समय अपने सिर से ऊपर उठाकर काटने के लिये प्रहार मत करें।
- अगर औजारों पर या आपकी जेब में म्यान नहीं बनी है तो तीखे या नुकीले औजारों, जैसे पेंचकस, स्क्राइब्स, एविएशन स्निप्स, स्क्रेपर्स, चिजेल्स या फाइल्स आदि को अपनी जेब में यूं ही रखकर मत ले जायें।
- चढ़ते समय औजारों को अपने हाथ में मत थामें। औजारों को औजारों वाली बेल्ट में लगायें या हैंड लाइन के जरिये औजारों को कार्यस्थल पर पहुंचाएं।
- पाढ़ या अन्य ऊंचे प्लेटफार्मों से औजारों को एक स्थल से दूसरे स्थल या एक कार्मिक से दूसरे कार्मिक की ओर मत फेंकें।

Safety in the wood working industry

When using hand tools

- Use tied-off containers to keep tools from falling off of scaffolds and other elevated work platforms .
- Carry all sharp tools in sheaths or holsters.
- Discard old/damaged tools
- Do not use impact tools such as hammers, chisels, punches or steel stakes that have mushroomed heads.

- Do not chop at heights above your head when working with a hand axe.
- Do not carry sharp or pointed hand tools such as screwdrivers, scribes, aviation snips, scrapers, chisels or files in your pocket unless the tool or pocket is sheathed.
- Do not carry tools in your hand when climbing. Carry tools in tool belts or hoist the tools to the work area with a hand line.
- Do not throw tools from one location to another, from one employee to another, from scaffolds or other elevated platforms.

रूखानी से कार्य करते समय:

- रूखानी की धार तेज रखें।
- क्षतिग्रस्त स्ट्राइकिंग फेरूल्स वाली रूखानियां इस्तेमाल मत करें।
- एक छोटे वर्कपीस को शिकंजे में कसें और स्टेशनरी जॉ की ओर चिप करके रूखानी से कार्य करें।

When working with Chisels

- Keep the cutting edge of the chisel sharp.
- Do not use chisels with damaged striking ferrules.
- Clamp a small work-piece in a vise and chip towards the stationary jaw when working with a chisel.

शिकंजे पर कार्य करते समय:

- चीजों को पकड़ने के लिये सी-क्लैम्प का प्रयोग मत करें।
- एक स्थायी फास्टनिंग उपकरण के रूप में सी-क्लैम्प का प्रयोग मत करें।

When working with Clamps

- Do not use the C-clamp for hoisting materials.
- Do not use the C-clamp as a permanent fastening device.

हथौड़े से कार्य करते समय

- नेल्स को उखाड़ने के लिये क्लॉ हैमर का प्रयोग करें।
- हथौड़े की तली से कील या किसी अन्य वस्तु को मत ठोंकें।
- स्टील की कठोर सतह पर चोट मत करें जैसे कि ठंडी रूखानी/छेनी पर एक क्लॉ हैमर से चोट करना।
- एक हथौड़े से दूसरे हथौड़े पर चोट मत करें।
- आपके हाथ गीले, चिकनाईयुक्त या ग्रीस युक्त होने पर हथौड़ा इस्तेमाल मत करें।
- एक हथौड़े को फन्नी/फच्चर या तोड़ने वाली छड़ के रूप में या बड़े कांटों को खींचने के लिये प्रयोग मत करें।
- स्ट्राइकिंग फेस व्रेन्च पर केवल घन प्रकार के हथौड़े का उपयोग करें।

When working with Hammers

- Use a claw hammer for pulling nails and driving nail s.
- Do not strike nails or other objects with the cheek of the hammer.
- Do not strike a hardened steel surface, such as a cold chisel, with a claw hammer.
- Do not strike one hammer against another hammer.
- Do not use a hammer if your hands are oily, greasy or wet.
- Do not use a hammer as a wedge, a pry bar or for pulling large spikes.
- Use only a sledge-type hammer on a striking face wrench.

रेती या रेते के साथ कार्य करते समय:

- रेती को प्रे बार, हथौड़े, पेंचकस या छेनी की तरह इस्तेमाल मत करें।
- एक रेती या रेते का प्रयोग करते समय, रेती के हत्थे को एक हाथ से और दूसरे सिरे को दूसरे हाथ से थामें।
- रेती पर हथौड़े का प्रहार मत करें।

When working with Files/Rasps

- Do not use a file as a pry bar, hammer, screwdriver or chisel.
- When using a file or a rasp, grasp the handle in one hand and the toe of the file in the other.
- Do not hammer on a file.

संडसी के साथ कार्य करते समय:

- संडसी से अधिक बल लगाने के लिये उस पर हथौड़े का प्रयोग मत करें।
- दबाव बढ़ाने के लिये संडसी के हत्थों में पाइप मत फंसाएं।
- बिजली कार्य के लिये इंसुलेटेड हत्थों वाली संडसी का ही प्रयोग करें।
- चिटकी, टूटी या तुड़ी-मुड़ी संडसी का प्रयोग मत करें।
- विकर्णों में काटने वाली संडसी प्रयोग करते समय, काटी जाने वाली वस्तु के कटे हिस्से को अपने हाथ में कपड़ा लपेटकर या दास्ताने पहनकर थामते हुए हवा में झूलने से रोकें।

When working with Pliers

- Do not attempt to force pliers by using a hammer on them.
- Do not slip a pipe over the handles of pliers to increase leverage.
- Use pliers with insulated handles for electrical work.
- Do not use pliers that are cracked, broken or sprung.
- When using diagonal cutting pliers, shield the loose pieces of cut material from flying into the air by using a cloth or your gloved hand.

आरी के साथ कार्य करते समय:

- ब्लेड एडजस्ट करने वाली आरी, जैसे हैक सॉ, कापिंग सॉ, की होल सॉ या बो सॉ का प्रयोग मत करें यदि ब्लेड पूरी तरह तनी हुई नहीं हो।
- भोथरे दांतों वाली आरी का प्रयोग मत करें।
- आरी प्रयोग करते समय अपने हाथ और अंगुलियों को आरी की ब्लेड से दूर रखें।
- आरी को ब्लेड से थामकर मत ले जायें।
- हस्तचालित आरी प्रयोग करते समय, वर्कपीस को वर्कटेबल के सापेक्ष मजबूती से थामें।
  काष्ठकला उपकरणों, जैसे कि सर्कुलर सॉ, रेडियल सॉ या ज्वाइंटर्स का प्रयोग मत करें यदि उनमें सॉ ब्लेड पर गार्ड नहीं लगा है।
- स्ट्रोक के अंत में दबाव कम करते हुए आरी को नियंत्रित करें।
- स्क्रॉल सॉ प्रयोग करते समय, टेबल पर से लकड़ी के बेकार टुकड़ों को हटाने से पहले मशीन को रोक दें।
- होल सॉ का प्रयोग करते समय वर्कपीस को शिकंजे में जकड़ें।

When working with Saws

- Do not use an adjustable blade saw such as a hacksaw, coping saw, keyhole saw or bow saw, if the blade is not taut.
- Do not use a saw that has dull saw blades.
- Keep hands and fingers away from the saw blade while using the saw.
- Do not carry a saw by the blade.

- When using a hand saw, hold the workpiece firmly against the work table.
- Do not use wood-working equipment such as circular saws, radial saws or jointers if they do not have guards on the saw blade.
- Keep control of saws by decreasing downward pressure at the end of the stroke.
- When operating scroll saws, stop the machine before removing scrap pieces from the table.
- Clamp work when using a hole saw.

कतरनी का प्रयोग करते समय:

- वस्तुओं को स्निप्स से काटते समय सुरक्षा शीशे या सुरक्षा चश्मे का प्रयोग करें।
- वस्तुओं को स्निप्स से काटते समय दास्ताने प्रयोग करें।
- गोलाकार काटते समय स्ट्रेट कट स्निप्स का प्रयोग मत करें।

When working with Snips

- Wear safety glasses or safety goggles when using snips to cut materials.
- Wear work gloves when cutting materials with snips.
- Do not use straight cut snips to cut curves.

शिकंजे का प्रयोग करते समय:

- एक लम्बे वर्कपीस को शिकंजे में कसते समय, वर्कपीस के सिरों को एक एडजस्टेबल पाइप स्टैंड, सॉ हॉर्स या बॉक्स के प्रयोग से रोकें।
- वर्कपीस को शिकंजे में यूं रखें कि जॉ का पूरा फेस वर्कपीस को जकड़ ले।
- ऐसे शिकंजे का प्रयोग मत करें, जिसके जॉ इंसर्ट्स कटे-फटे या टूटे हों, या शिकंजे की बॉडी में चिटकन या दरारें हों।
- अधिक दबाव बनाने के लिये शिकंजे के हत्थे पर पाइप मत फंसाएं।

When working with Vises

- When clamping a long workpiece in a vise, support the far end of the workpiece by using an adjustable pipe stand, saw
- horse or box.
- Position the workpiece in the vise so that the entire face of the jaw supports the workpiece.
- Do not use a vise that has worn or broken jaw inserts, or has cracks or fractures in the body of the vise.
- Do not slip a pipe over the handle of a vise to gain extra leverage.

पेंचकस का प्रयोग करते समय:

- अधिक दबाव बनाने के लिये शिकपेंच के सिरे पर बिल्कुल फिट बैठने वाले पेंचकस ब्लेड का साइज मिलाकर प्रयोग करें।
- पेंचकस प्रयोग करते समय वर्कपीस को अपने शरीर से मत रोकें।
- कोई पेंच कसते समय अपनी अंगुलियों को पेंचकस ब्लेड के निकट मत लायें।
- पेंच के लिये शुरूआती छेद बनाने के लिये एक सूए, ड्रिल या कील का प्रयोग करें।
- पेंचकस पर बल लगाने के लिये हथौड़े या संडसी से मत ठोकें।
- पेंचकस को पंच/छेनी/प्रेबार/ कील उखाड़ने के लिये प्रयोग मत करें।
- बिजली कार्य के लिये इंसुलेटेड हत्थे वाले पेंचकस का प्रयोग करें।
- गीले, तेल लगे हाथों से पेंचकस का प्रयोग मत करें।
- एक बैटरी की चार्जिंग जांचने के लिये पेंचकस का प्रयोग मत करें।
- एक स्पाइरल रैशेट पेंचकस का प्रयोग करते समय, मजबूती से आहिस्ता-आहिस्ता नीचे को दबायें।

When working with Screw drivers

- Always match the size and type of screwdriver blade to fit the head of the screw.
- Do not hold the work-piece against your body while using a screwdriver.
- Do not put your fingers near the blade of the screwdriver when tightening a screw.
- Use an awl, drill or a nail to make a starting hole for screws.
- Do not force a screwdriver by using a hammer or pliers

- Do not use a screwdriver to punch/ chisel/ pry bar/pull nails.
- Use a screwdriver with insulated handle for electrical work.
- Do not use a screwdriver with wet/oily hands
- Do not use a screwdriver to test the charge of a battery.
- When using a spiral ratchet screwdriver, push down firmly and slowly.

बिजली उपकरणों का प्रयोग करते समय

- ड्रिल, सॉ, वैक्युम क्लीनर, फ्लोर पॉलिशर्स, मोवर्स, स्लाइसर्स, नाइव्स, ग्राइंडर्स, आयरन्स और प्रेसेज का इस्तेमाल करते समय इनके मार्ग से बिजली के तार को दूर रखें।
- प्लग लगे उपकरणों या औजारों को स्विच पर अपनी अंगुलियों के साथ मत ले जायें।
- क्षतिग्रस्त तार वाले उपकरणों या औजारों का प्रयोग मत करें।
- उपकरणों या औजारों को तार से मत थामें।
- औजार को बिजली आउटलेट से अलग करने के लिये प्लग थामकर निकालें, तार पकड़कर नहीं।
- मरम्मत से पहले डिस्कनेक्ट करें।
- औजार को प्लग लगाने या निकालने से पहले स्विच ऑफ कर दें।
- औजारों को ऑन अवस्था में बिना निगरानी के मत छोड़ें।
- बिजली उपकरणों या औजारों का तब प्रयोग मत करें, जब आपके हाथ गीले हों या आप गीले फर्श पर खड़े हों।
- चिनगारियां उत्पन्न करने वाले उपकरणों, जैसे कि ग्राइंडर्स, ड्रिल्स या सॉ आदि को 'ज्वलनशील' का लेबल लगे कन्टेनरों के

पास या विस्फोटक वातावरण जैसे कि पेंट स्प्रे बूथ में प्रयोग मत करें।
- किसी अकेले आउटलेट में बिजली के कई उपकरण न जोड़ें।
- दरवाजों, छत, दीवार या फर्श के सुराखों से बिजली के विस्तारित तारों को मत निकालकर ले जायें।
- बिजली के हस्तचालित या पोर्टेबल उपकरण को दो कांटे वाले एडॉप्टर या दो कंडक्टर वाले एक्सटेंशन कार्ड के साथ प्रयोग मत करें।
- बिजली के हस्तचालित उपकरण को तब प्रयोग मत करें, जब आपने गीले सूती दास्ताने या गीले चमड़े के दास्ताने पहने हों।
- बिजली के उपकरणों को नंगे पैर आपरेट मत करें। रबर के तले वाले या इंसुलेटेड वर्कबूट पहनें।
- बिजली के हस्तचालित उपकरण को तब प्रयोग मत करें, जब इसकी मेटल केसिंग या कोई भाग या एक्सटेंशन कार्ड आपने हाथ में पकड़ा हुआ हो। बिजली के सभी पोर्टेबल उपकरणों को प्लास्टिक के हत्थे से थामें या दूसरे कुचालक भागों से, जिनको थामने के प्रयोजन से बनाया गया हो।
- बिजली के हस्तचालित या पोर्टेबल उपकरण को तब प्रयोग मत करें जब तीन कांटों वाले इसके पॉवर प्लग की अर्थिंग वाली पिन गायब हो या टूटी हो।

WHEN HANDLING ELECTRIC TOOLS

- Keep power cords away from the path of drills, saws, vacuum cleaners, floor polishers, mowers, slicers, knives, grinders, irons and presses.
- Do not carry plugged-in equipment or tools with your finger on the switch.

- Don’t use tools with damaged cords.
- Do not carry equipment or tools by the cord.
- Disconnect the tool from the outlet by pulling on the plug, not the cord
- Disconnect before repairing
- Turn the tool off before plugging or unplugging it.
- Do not leave tools that are "On" unattended.
- Do not handle or operate electrical tools when your hands are wet or when you are standing on wet floors.
- Do not operate spark inducing tools such as grinders, drills or saws near containers labeled "Flammable" or in explosive atmosphere such as a paint spray booth.
- Do not connect multiple electrical tools into a s ingle outlet.
- Do not run extension cords through doorways, through holes in ceilings, walls or floors.
- Do not operate a power hand tool or portable appliance with a two-pronged adapter or a two-conductor extension cord.
- Do not use a power hand tool while wearing wet cotton gloves or wet leather gloves.
- Never operate electrical equipment barefooted. Wear rubber-soled or insulated work boots.
- Do not operate a power hand tool or portable appliance while holding a part of the metal casing or holding the extension cord in your hand. Hold all portable power tools by the plastic hand grips or other nonconductive areas designed for gripping purposes.
- Do not operate a power hand tool or portable appliance if the ground pin from the three pronged power plug is missing or has been removed.

Health & Safety

No machine guards / obstructions to hold easy movement of hand
Use of PPEs missing - Hand Gloves
Use of PPEs missing - Eye Shields
No distance with co-worker

Extremely bad house keeping.
Exit blocked, Aisles escape routes blocked.
Material spread vulnerable for fire.
Dont' know what the drum is in side.
Flammable material risk of fire.

The tube lighting needs to be guarded
The aisles are not marked
Loose electric connections of the machines
No effective machines guards.
Congestion

Health & Safety

Wearing Safety Helmets conrtruction site

Prorer use of PPEs - Safety Helme
Prorer use of PPEs - Eye Shields
Prorer use of PPEs - Ear guard

Prorer use of PPEs - Mask (for Dust & Fume)
Prorer use of PPEs - Eye Shields
Prorer use of PPEs - Apron

Prorer use of PPEs - Mask
Prorer use of PPEs - Hand Gloves
Prorer use of PPEs - Rubber Boots

Prorer use of PPEs - Mask (for cotton Dust)

Prorer use of PPEs - Hand Gloves
(for the safety of hand from chemicals)

Health & Safety

Clean and hygienic place of work meeting
some safety norms.

Fire Extinguishers to meets Fire Emergency
Adequate provision is made for the fighting of fire and evacution in all areas of
the factory or production site.

Health & Safety

Suffcient workers are to be trained in the use of hose real & fire equipments.
by conduction fire drill.

First aid boxes should be abailable in all areas of the factory.
well stocked & with appropriate equipment & workers are to be trained.

MSDS

- MSDS should be in place and workers are to be trained on the use of relevant chemicals.
- Appropriate precautions are to be in place in case of an accident/spill.

Health & Safety

Clean and hygienic bathroom facilities.

Clean and Safe Drinking Water workers.

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद्
Export Promotion Council For Handicrafts
(Sponsored by Ministry of Textiles, Govt. on India)
"EPCH HOUSE" Pocket 6 & 7, Sector-'C', LSC
Vasant Kunj, New Delhi-110070
Tel: +91-11-26135256 (10 lines) Fax: +91-11-26135518/19
E-mail: epch@vsnl.com Website: www.epch.in, www.epch.com

Printed by Print Craft 5000 copy